144| AC (A)
19|4|2010

संख्या– /38–6–2010–18एवीआरवाई/09टीसी–।।

प्रेषक,

लीना जौहरी,
सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

आयुक्त,
ग्राम्य विकास,
उ0प्र0 लखनऊ।

ग्राम्य विकास अनुभाग–6 लखनऊः दिनांकः 15 अप्रैल, 2010

विषयः– वित्तीय वर्ष 2010–11 हेतु अम्बेडकर विशेष रोजगार योजना (एवीआरवाई) के अंतर्गत सामान्य मद अनुदान संख्या–13 से संबंधित धनराशि अवमुक्त किये जाने के संबंध में ।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या–356/कार्य0/अ0वि0रो0यो0/2010–11दिनांक 7–04–2010 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि अम्बेडकर विशेष रोजगार योजना (ए.वी.आर.वाई.) के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2010–11 हेतु नियोजन विभाग द्वारा रू0–2000.00 लाख (रूपये बीस करोड़ मात्र) का परिव्यय निर्धारित किया गया है। योजनान्तर्गत सामान्य मद अनुदान संख्या–13 में कुल रू0–1600 लाख (रूपये सोलह करोड़ मात्र) की बजट व्यवस्था हुई है। इस संबंध में वित्त (आय–व्ययक) अनुभाग–1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या–बी–1–951/दस–2010–231/2010 दिनांक 26 मार्च, 2010 के प्रस्तर–2 के बिन्दु–3 में दी गयी व्यवस्था के अनुरूप योजनान्तर्गत अनुदान संख्या–13 में कुल प्राविधानित धनराशि रू0–1600 लाख (रूपये सोलह करोड़ मात्र) का 50 प्रतिशत अर्थात रू0–800 लाख (रूपये आठ करोड़ मात्र) आयुक्त, ग्राम्य विकास के निवर्तन पर रखे जाने हेतु श्री राज्यपाल महोदय इस शर्त के साथ स्वीकृति प्रदान करते हैं कि प्रश्नगत धनराशि का व्यय परियोजनावार शासन स्तर से परियोजना की स्वीकृति प्राप्त होने के उपरान्त ही किया जायेगा।

CAO
16/4

19/4

2. इस संबंध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2010–11 के आय व्ययक अनुदान संख्या–13 के अंतर्गत स्वीकृत की जाने वाली धनराशि लेखा शीर्षक

"2515–अन्य ग्राम्य विकास कार्यक्रम–102–सामुदायिक विकास–08–अम्बेडकर रोजगार योजना–27–सब्सिडी" के नामे डाला जायगा।

3. यह आदेश वित्त विभाग के प0सं0–1685/दस–16/92 दिनांक 7.7.92 द्वारा प्रतिनिधानित अधिकारों के अधीन तथा वित्त (आय व्ययक) अनुभाग–1 के पत्र संख्या–बी–1–751–दस–2004–247/2003 दिनांक 5 मार्च, 2004 एवं पत्र संख्या–बी–1–1520/दस–2004–247/2004 दिनांक 22 अप्रैल, 2004 के अनुपालन में जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(लीना जौहरी)
सचिव।

संख्या–894(1)/38–6–2010– एवीआरवाई/2010 तददिनांक

उपर्युक्त की प्रति निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. महालेखाकर (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय उ.प्र., इलाहाबाद।
2. निदेशक, कोषागार, जवाहर भवन, लखनऊ।
3. समस्त मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी/कोषाधिकारी/मुख्य विकास अधिकारी, उ.प्र.।
4. अपर आयुक्त, लेखा, ग्राम्य विकास, जवाहर भवन, लखनऊ।
5. वित्त(व्यय नियंत्रण) अनुभाग–2/वित्त (आय–व्ययक) अनुभाग–2
6. ग्राम्य विकास अनुभाग–3/ नियोजन अनुभाग–3
7. योजना से संबंधित समस्त लाइन विभाग, द्वारा आयुक्त ग्राम्य विकास विभाग उ.प्र., लखनऊ।
8. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(राम सेवक)
अनुसचिव।

G.O. Budget

25/06/16

उत्तर प्रदेश शासन
ग्राम्य विकास अनुभाग–6
सं0–1120/38–6–2010–18एवीआरवाई/09टीसी–।।
लखनऊः दिनांकः 23 जून, 2010

शुद्धि–पत्र

वित्तीय वर्ष 2010–11 हेतु अम्बेडकर विशेष रोजगार योजना (ए.वीआरवाई.) के अन्तर्गत सामान्य मद अनुदान संख्या–13 से सम्बन्धित धनराशि अवमुक्त किये जाने सम्बन्धी निर्गत किए गये शासनादेश संख्या–894/38–6–2010–18एवीआरवाई/09टीसी–।।, दिनांक 15 अप्रैल, 2010 के प्रथम प्रस्तर के अंतिम वाक्य में लगाई गयी शर्त में "व्यय" के स्थान पर "राजकोष से आहरण" शब्द तथा उक्त प्रथम प्रस्तर की अंतिम पक्ति में "उपरान्त एवं ही" के मध्य शब्द "तद्नुसार " पढ़ा जाएगा।

2– इस सीमा तक उक्त शासनादेश दिनांक 15 अप्रैल, , 2010 संशोधित समझा जाएगा तथा शेष व्यवस्था एवं निर्देश यथावत लागू रहेंगे।

लीना जौहरी
सचिव।

संख्या–1120(1)/38–6–2010 तद्दिनांक।

उपर्युक्त की प्रति निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. महालेखाकांर (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
2. आयुक्त, ग्राम्य विकास, उ0प्र0, जवाहर भवन, लखनऊ।
3. निदेशक कोषागार, जवाहर भवन, लखनऊ।
4. समस्त मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी/कोषाधिकारी/मुख्य विकास अधिकारी, उ.प्र.।
5. अपर आयुक्त, लेखा, ग्राम्य विकास, जवाहर भवन, लखनऊ।
6. वित्त (व्यय नियन्त्रण) अनुभाग–2/वित्त(आय–व्ययक) अनुभाग–2
7. ग्राम्य विकास अनुभाग–3/ नियोजन अनुभाग–3
8. योजना से संबंधित समस्त लाइन विभाग, द्वारा आयुक्त, गाम्य विकास, उ.प्र. लखनऊ।
9. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(राम सेवक)
अनु सचिव।

U.O.

24-6-10

आयुक्त,
ग्राम्य विकास, उ.प्र.

ग्राम्य विकास अनुभाग–6 के संलग्न पत्र संख्या–1120(1)/38–6–2010–18एवीआरवाई/09टीसी–।। दिनांक 23 जून, 2010 को अपने स्तर से समस्त मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी/कोषाधिकारी/मुख्य विकास अधिकारी, उ.प्र.को कृपया फैक्स/ई-मेल द्वारा आज ही भिजवाने का कष्ट करें।

Rsewak 24-6-2010
(राम सेवक)
अनु सचिव।

संख्या– 366 /26–ब0प्र0–2010–18एवीआरवाई/2009

प्रेषक,

भवनाथ
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन ।

सेवा में,

आयुक्त
ग्राम्य विकास,
उ0प्र0 लखनऊ।

बजट प्रकोष्ठ, समाज कल्याण लखनऊः दिनांकः 30 अप्रैल, 2010

विषयः– वित्तीय वर्ष 2010–11 हेतु अम्बेडकर विशेष रोजगार योजना (एवीआरवाई) के अन्तर्गत एस0सी0एस0पी0 मद अनुदान संख्या–83 से सम्बन्धित धनराशि अवमुक्त किये जाने के सम्बन्ध में ।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या–356/कार्य0/अ0वि0रो0यो0/2010–11 दिनांक 7.4.2010 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2010–11 के आय–व्ययक में अनुदान संख्या–83 के अन्तर्गत संचालित अम्बेडकर विशेष रोजगार योजना (ए0वी0आर0वाई0) के कियान्वयन हेतु प्रावधानित धनराशि रू0 400.00 लाख (रू0 चार करोड़ मात्र) के सापेक्ष वित्त (आय–व्ययक) अनुभाग–1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या–बी–1–951/दस–2010–231/2010, दिनांक 26 मार्च, 2010 के प्रस्तर–2 के उपबिन्दु–3 में दी गयी व्यवस्था के अनुरूप 50 प्रतिशत की धनराशि अर्थात कुल रू0 200.00 लाख (रू0 दो करोड़ मात्र) आपके निवर्तन पर रखे जाने हेतु श्री राज्यपाल महोदय इस शर्त के साथ सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है कि प्रश्नगत धनराशि का व्यय परियोजनावार शासन स्तर से परियोजना की स्वीकृति प्राप्त होने के उपरान्त ही किया जायेगा ।

2– इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2010–11 के आय–व्ययक में अनुदान संख्या–83 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक–"2515–अन्य ग्राम्य विकास कार्यक्रम– आयोजनागत–789–अनुसूचित जातियों के लिये विशेष घटक योजना–05–अम्बेडकर रोजगार योजना–27–सब्सिडी" के नामें डाला जायेगा ।

3– यह आदेश वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या–बी–1–951/दस–2010–231/2010, दिनांक 26.3.2010 में निहित व्यवस्था के अधीन जारी किये जा रहे है।

भवदीय,

(भवनाथ)
विशेष सचिव।

संख्या–366 (1)/26–ब0प्र0–2010–तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0 इलाहाबाद ।
2– निदेशक, कोषागार, जवाहर भवन, लखनऊ।
3– समस्त मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी/कोषाधिकारी/मुख्य विकास अधिकारी, उ0प्र0।
4– अपर आयुक्त, लेखा, ग्राम्य विकास, जवाहर भवन, लखनऊ।
5– वित्त (व्यय–नियंत्रण) अनुभाग–3/वित्त (आय–व्ययक) अनु0–1/नियोजन अनुभाग–3
6– योजना से सम्बन्धित समस्त लाइन विभाग द्वारा आयुक्त, ग्राम्य विकास विभाग, उ0प्र0 लखनऊ।
7– गार्डफाइल ।

आज्ञा से,

(उमा शंकर सिंह)
अनु सचिव ।